FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0026 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 01/08/2025 17:17 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days	Date from (दिनांक से): 23/07/2025	Date To (दिनांक तक): 26/07/2025
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से): 00:00 hrs	Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/08/2025 Time (समय): 16:30 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date and Time (दिनांक और समय): 01/08/2025 16:45 hrs

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार,निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): विपिन कुमार
(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री राजसिंह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Scanned with OKEN Scanner

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गली नम्बर 7, इन्डियन कालोनी सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव बडवासनी, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9671463191

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	निरीक्षक सुनील जैन			1. Delhi Investigation Unit DIU,Delhi PoliceNORTH,DELHI,INDIA
2	कलर्क संदीप			1. जी0 3 स्कूल सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पति श्रेणी)	Property Type (सम्पति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे,
निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

Scanned with OKEN Scanner

उपकेन्द्र सोनीपत

श्रीमानजी,

सविनय निवेदन है कि मैं विपिन कुमार पुत्र श्री राजसिंह गांव बडवासनी जिला सोनीपत हाल निवासी इन्डियन कालोनी गली नम्बर 7 सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। प्रवीन लाकडा पुत्र श्री मनफूल वासी राजीव कालोनी गली नम्बर 1 नरेला दिल्ली मेरा रिश्तेदार है। जो प्रोप्रटी डीलर का कार्य करता है। मुझे पता चला की प्रवीन लाकडा के खिलाफ प्रवीन गुप्ता पुत्र भूपेन्द्र कुमार गुप्ता वासी मकान नम्बर 613/2 अलीपुर दिल्ली ने थाना अलीपुर दिल्ली में एक झूठा मुकदमा नम्बर 502 दिनांक 11.08.2024 धारा 33/305/308(4)/351(2)/3(5) BNS में दर्ज करवाया हुआ है। मेरे रिश्तेदार प्रवीन लाकडा द्वारा भी प्रवीन गुप्ता पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्ता वासी मकान नम्बर 613/2 अलीपूर दिल्ली के खिलाफ थाना अलीपूर में मुकदमा नम्बर 507 दिनांक 11.8.2024 धारा 308(2)/351(3)/3(5) BNS में दर्ज करवाया हुआ है। इसके इलावा प्रवीन गुप्ता पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्ता वासी मकान नम्बर 613(2) अलीपूर दिल्ली द्वारा अलीपूर थाने में एक मुकदमा 219 दिनांक 27.4.2025 धारा 110/126(2)/324(4)/351(2)/3(5) BNS चार पांच लडको द्वारा लाठी राडों से उसको प्रवीण लाकडा व शुभम शर्मा के कहने पर उसके साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में दर्ज करवाया हुआ है। इस मुकदमें की हाल तफतीश Delhi Investigation Unit (DIU) दिल्ली द्वारा की जा रही है। इस मुकदमें में विशेष अनुसंधान टीम को गठित किया गया है जिसका अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक सुनील जैन है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.7.2025 को रोहिनी कोर्ट में निरीक्षक सुनील जैन से हुई तो उन्होने 1 करोड की डिमांड की मुकदमों को हल्का करने के बारे में और अगले दिन मुझे थाने मोर्या इन्कलेव में बुलाया जो प्रीतमपूरा दिल्ली में है बुलाया। जो 25.7.2025 को करीब 11.30 AM में DIU थाना मौर्या इन्कलेव प्रीतमपूरा दिल्ली में गया और वहा निरीक्षक सुनील जैन से मिला जहा मैने कहा की 1 करोड तो बहुत ज्यादा है तो सुनील जैन ने कहा उनका क्या ऑफर है मैने कहा 20-25 लाख । निरीक्षक सुनिल जैन ने प्रवीन लाकडा के खिलाफ थाना अलीपूर में दर्ज मुकदमा नम्बर 502 दिनांक 11.08.2024 धारा 33/305/308(4)/351(2)/3(5) BNS से नाम निकालने बारे में कहा और मुकदमा नम्बर 219 दिनांक 27.4.2025 धारा 110/126(2)/324(4)/351(2)/3(5) BNS में शिकायतकर्ता प्रवीन गुप्ता के ततीमे ब्यान के आधार पर ईजाद की गई धारा 309(6) BNS को हटाकर आपके केस को हल्का कर दूँगा। उन्होने बताया सोनीपत में जी0 3 स्कूल अपने छोटे भाई का है वहा से 26.7.2025 को मेरे पास संदीप का फोन आया और वहा जाकर वाटसअप से संदीप ने अपने फोन से सुनील जैन से निरीक्षक से मेरी बात कराई जो 70 लाख फाईनल देने के लिए बोला और 50% अमाउंट जमा कराने के लिए बोला। 27.7.2025 को वाटसअप पर सुनील जैन से पूछा की 70 लाख में से मेरे को क्या मिलेगा ताकि ये भ्रष्ट कर्मचारी मुझपर यकिन करे और पकडवाया जा सके। फिर मैने कहा की 10% कितना बनता क्योकि सुनील जैन निरीक्षक ने 10% का ऑफर दिया था। मैने अब अपने रिश्तेदारो के माध्यम से पैसे का इंतजाम कर लिया है आज उसके बताये अनुसार 30,00000 लाख रुपये रिश्वत राशी दी जानी है। निरीक्षक सुनील जैन निरीक्षक (दिल्ली पुलिस) या तो रिश्वत राशी खुद लेगा या अपने जानकार सुनील कलर्क या किसी जानकार के माध्यम से लेगा। मैं उस भ्रष्ट सरकारी पुलिस कर्मचारी को रिश्वत के पैसे नही देना चाहता हुँ। मेरे और निरीक्षक सुनील जैन (दिल्ली पुलिस) एंव स्कूल कलर्क संदीप के बीच रिश्वत मांगने की जो बातचीत हुई है उसकी कुछ रिकार्डिग आपको दे दी है अत उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी निरीक्षक सुनील जैन दिल्ली पुलिस एंव उसके जानकार जी0 3 स्कूल सोनीपत के कलर्क संदीप के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। मेरी जो भी फोन से बातचीत हुई वह निरीक्षक सुनील जैन के 9818316283 वाटसअप नम्बर से हुई है। हस्ता अंग्रेजी VIPIN

विपिन कुमार S/O श्री राजसिंह

गांव बडवासनी

जिला सोनीपत

Ph. 9671463191

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 01.08.25 को मैं अपने सहयोगी स्टाफ SI जगजीत न0 1241/SPT, ASI रेनू 1581/SPT, ASI जगबीर 1114/RWR, HC नवीन 2034/RTK, HC सन्दीप 637/SPT EHC प्रवीन 616/RTK, EHC राजेश 1307/PPT, EHC पवन 1233/JJR मय सरकारी गाडी HR 03GV-9636 व DSP सोमवीर, निरीक्षक देवेन्द्र, ESI कृष्ण न0 866/BWN, ASI कपील 12/JJR, EASI सुभाष 1118/PPT, EASI राकेश 877/SPT, ASI सन्दीप 79/दादरी राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक के हाजिर उपकेन्द्र सोनीपत हूँ जो विपिन S/O श्री राजसिंह गांव बडवासनी जिला सोनीपत हाल गली न0 7 गोहाना रोड इंडियन कालोनी सोनीपत ने हाजिर आकर उपरोक्त हस्त लिखित दरखास्त पेश की

Scanned with OKEN Scanner

और अपने व निरीक्षक सुनील कुमार DIU युनिट दिल्ली व उसके जानकार सन्दीप के बीच रिश्वत बारे हुई रिकार्डिंग को सुनाया मन निरीक्षक द्वारा उक्त बारे उच्च अधिकारियों को सुचित किया गया अवगत कराया की शिकायतकर्ता ने बताया की छाया गवाह या अन्य कोई व्यक्ति मेरे साथ जायेगा तो वह भ्रष्ट कर्मचारी/व्यक्ति रिश्वत लेने में संकोच करेगा तो मैं आपको अपने मो0फोन से आपको या आपके टीम के किसी सदस्य को रिश्वत राशी देने बाद फोन करके सुचित कर दूंगा जो उच्च अधिकारीयों ने शीघ्र कार्यवाही करने बारे निर्देश किये जो दरख्सात के मजबून से व रिकार्डिंग के सुनने से सरे दस्त जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया गया है। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा EHC राजेश 1307/PPT के थाना राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक भेजी जा रही है बाद करने अंकित नम्बर पर्चा से सुचित किया जावे और स्पैशल रिपोर्ट अफशरानबाला व इलाका मैजिस्ट्रेट को भेजी जावे मन निरीक्षक द्वारा उच्च अधिकारीयों से विचार विमर्श करके एक टीम जिसमें DSP सोमबीर निरीक्षक देवेन्द्र ESI कृष्ण ASI कपील, EASI सुभाष, ASI संदीप, EASI राकेश को दिल्ली रवाना किया गया मन निरीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही के लिए बराये कराने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र साक्षी ई-मेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक को भेजी गई है जो बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से सम्पर्क करके नियामानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी अज राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत हस्ता अंग्रेजी Parmila Insp निरीक्षक

थाना राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार
निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत
दिनांक 01.08.25
AT. 1.20 PM

State Vigilance & Anti Corruption Bureau
Rohtak
Range
Rohtak

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 26 दिनांक 01.08.25 धारा 7 P.C Act थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके डयुटी मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त EHC राजेश 1307/PPT की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक फतेह सिंह न0 84/गुरुग्राम की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Parmila Devi Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 189SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

Scanned with OKEN Scanner

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

State Vigilance & Anti Corruption Bureau
Rohtak
Range
Rohtak

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): FATEH SINGH

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 84/GGM

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

Scanned with OKEN Scanner